भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 36

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**विदेशी अकादमिक केन्द्र**

**36. श्री के॰ एन॰ बालगोपालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों और विदेशी शिक्षण संस्थानों को देश में अपने शैक्षिक केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

**(क) और (ख):** जी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 30 मई, 2010 को संसद में विदेशी शिक्षा संस्थाएं (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 प्रस्तुत किया था। इस विधेयक में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक तंत्र बनाने की अपेक्षा की गई थी।

तथापि, 15 वी लोक सभा के भंग होने के साथ ही, विदेशी शिक्षा संस्थाएं (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010 अब समाप्त हो गया है।

\*\*\*\*\*